

①

निगं-5963/2018/रीवा/भू-रां

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर लिंक कोर्ट

रीवा रीवा (म.प्र.)



अधि० श्री गजराज सिंह
राज्य सेवा 24-9-18

निगं-5963/2018/रीवा/भू-रां
गजराज सिंह

- 1- शिवमूरत तनय बच्चू मुडहा
- 2- चन्द्रवती पत्नी शिवमूरत मुडहा
- 3- रामदस पिता शिवमूरत

सभी निवासी- ग्राम-हांटा तहसील- हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

ज्वाला प्रसाद तनय चित्रसेन ब्राम्हण निवासी- ग्राम तिलिया,थाना व तहसील- हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

.....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा श्री मधुकर अग्नेय साहब के अपील प्रकरण क्र.- 360/अपील/2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 07.09.2018 के विरुद्ध निगरानी

अंतर्गत धारा 50 एम0 पी0 एल0 आर0

मान्यवर,

प्रकरण का शूक्ष्म विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- यह कि निगरानीकर्ता क्र.-2 जो निगरानीकर्ता क्र.-1 की पत्नी है, ने दिनांक 01.02.2013 मे गैरनिगरानीकर्ता से वाद ग्रस्त आराजी क्र.- 1/1क

①
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निगम-5963/2018/रीवा/भू-रा0

जिला-रीवा

शिवमूरत/ ज्वाला प्रसाद

(1)	(2)
17-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री बृजेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 360/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24.09.18 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>